

प्रेस-विज्ञप्तिथाना निजामाबादअवैध तमन्चा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 23.07.2024 को उ0नि0 मो0 शमशाद खान मय हमराह चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व रात्रि गस्त करते हुये सोफीपुर तिराहे पर मौजूद थे कि सूचना मिली कि एक व्यक्ति शेरपुर तिराहा पर अंशिका स्वीट हाऊस के पास चौकी पर बैठा है जिसके पास अवैध तमन्चा है। इस सूचना पर उ0नि0 मो0 शमशाद खान मय हमराह द्वारा अभियुक्त राजेश यादव उर्फ चकनू यादव पुत्र स्व0 चन्द्रबली यादव नि0 सेमरा थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष हाल पता ग्राम सिधौना थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को शेरपुर तिराहा से समय करीब 01.30 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर का बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 352/24 धारा 3/25 आर्म्स पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग— मु0अ0सं0- 352/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त— राजेश यादव उर्फ चकनू यादव पुत्र स्व0 चन्द्रबली यादव नि0 सेमरा थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष हाल पता ग्राम सिधौना थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 71/17 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0- 176/19 323,325,504,506 भादवि व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एस0सी/एस0टी0 एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0- 145/21 धारा 411,413,414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

4. मु0अ0सं0- 56/14 धारा 302 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

5. मु0अ0सं0- 94/14 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

6. मु0अ0सं0- 352/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम- उ0नि0 मो0 शमशाद खान, हे0का0 मनोज सोनकर, का0 सुजित कुमार थाना निजामाबाद आजमगढ़।

थाना सरायमीरअवैध तमन्चा कारतूस व चोरी के सामान सहित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 06-05-2024 को वादी मुकदमा रामसिंह प्रधानाध्यापक पूर्व मा0 विद्यालय सुरही खुर्द सरायमीर थाना सरायमीर द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी दिनांक 06.05.2024 को विद्यालय पहुंचा तो देखा कि किसी अज्ञात चोर ने विद्यालय का ताला कटकर 01 पंखा, 01 भगौना, 01 टुल्लू पम्प, व नल के उपर का सिलेन्डर चोरी कर ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 239/2024 धारा 457, 380 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 16.06.2024 को वादी मुकदमा चन्द्रकेश यादव निवासी धंगवल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी शिकायत किया गया कि वादी ने खेत में सिचाई मशीन लगाई थी, जिसके पंखे को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 341/2024 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 23.07.2024 को उ0नि0 अखिलेश यादव व उ0नि0 यू0टी हरिकेश शर्मा मय हमराह शेरवा नहर पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग कि सूचना मिली कि सुरही खुर्द व धंगवल से हुयी चोरियां एक नशेडी किस्म का लड़का किया हैं जो हाजीपुर मोड़ पर खड़ा जिसके पास तमन्चा भी है। इस सूचना पर उ0नि0 अखिलेश यादव व उ0नि0 यू0टी हरिकेश शर्मा मय हमराह द्वारा हाजीपुर मोड़ से अभियुक्त बीरु सोनकर पुत्र महेन्द्र सोनकर निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को समय करीब 09.20 बजे गिरफ्तार किया गया जिसकी जामा तलाशी के दौरान 01 तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 1560/- रुपये, 01 भगौना व 01 पंखा बरामद हुआ।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 399/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- बीरु सोनकर पुत्र महेन्द्र सोनकर निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 399/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 1560/- रुपये, 01 भगौना व 01 पंखा ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 256/2022 धारा 21/8 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- [0117/2023](#) धारा 21/8 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- [083/2021](#) धारा 41, 411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 239/24 धारा 457/380 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0- 341/24 धारा 379 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अखिलेश यादव, यू0टी हरिकेश शर्मा, का0, विजय प्रसाद, का0 विक्रम यादव, का0 आशु सिद्दीकी, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना देवगांव

चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 21.07.2024 को वादिनी मुकदमा साधना यादव पत्नी अजीत यादव निवासी ग्राम खनियरा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय शिकायत किया गया कि अभियुक्त हरिकेश यादव पुत्र रामाश्रय यादव उर्फ मन्टू यादव निवासी पड़िता थाना मरदह जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष ने वादिनी के कमरे में पेटी में रखा अंगूठी, पायल, हार, नथिया, मंटिक, करधनी, मंगल सुत्र, लाकेट, झुमका आदि जेवरात चोरी कर लिया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 284/2024 धारा 305 बी.एन.एस. पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सुल्तान सिंह द्वारा संपादित की जा रहा है ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 23.07.2024 को उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त हरिकेश यादव पुत्र रामाश्रय यादव उर्फ मन्टू यादव निवासी पड़िता थाना मरदह जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष को मिर्जाआदमपुर बाईपास से समय करीब 10:15 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से पीली धातु की अंगूठी, सफेद धातु का पायल तथा 2500 रुपये बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 284/2024 धारा 305 बी.एन.एस. थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- हरिकेश यादव पुत्र रामाश्रय यादव उर्फ मन्टू यादव निवासी पड़िता थाना मरदह जनपद गाजीपुर

बरामदगी- 01 पीली धातु की अंगूठी, 01 सफेद धातु का पायल तथा 2500 रुपये

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सुल्तान सिंह, का0 गिरिजेश शर्मा, का0 पवन गौड़ थाना देवगाँव, आजमगढ़।

थाना मेंहनगर

मार-पीट कर रंगदारी वसूलने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 21.07.2024 को वादी मुकदमा शरमा राजभर पुत्र सुबेदार राजभर निवासी नई थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि दिनांक-17.07.2024 की रात्रि में करीब 12:00 बजे 01 लडकी ने साजिश कर मेरे पुत्र को फोन करके खेत जोतने की बात कहकर बुलाया तभी ग्राम प्रधान अरविन्द यादव पुत्र मनिराम यादव साकिन-उस्मापुर (देवईत) की साजिश से आशीष पुत्र तुलसी चौहान साकिन-देवईत व राजन गोंड उर्फ टारजन गोंड व आकाश गोड़ समस्त पुत्र हरेन्द्र गोड़ साकिन-देवईत व विजय उर्फ लडू पुत्र महेन्द्र व रामगिरिश पुत्र बंशू व वकील चौहान पुत्र भिखा चौहान व सोनू पुत्र नेहरू चौहान व बिल्लू राम का पुत्र साकिन-देवईत थाना-मेंहनगर, जिला-आजमगढ़ ने वादी के पुत्र को देवईत के सिवान में पेड़ में बाधकर लात-घूसो से मारा तथा राजन गोड़ व आकाश गोड़ गर्दन पर छुरा रखकर मोबाईल छिन लिया। तथा दिनांक-18.07.2024 को उक्त लडकी की मां ने वादी को अपने घर पर बुलाकर 40000/- रूपया ले लिया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 271/24 धारा 3(5)/115(2)/ 309(4)/308(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 23.07.2024 को उ0नि0 अमित कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तो 1.राजन गौड़ उर्फ टारजन गौड़ पुत्र हरेन्द्र गौड़ सा0 देवईत थाना मेहनगर आजमगढ़, 2.विजय उर्फ लडू पुत्र महेन्द्र निवासी देवईत थाना मेहनगर आजमगढ़, 3.वकील चौहान पुत्र भीखा चौहान निवासी देवईत थाना मेहनगर आजमगढ़, को उनके घर ग्राम देवईत से समय करीब 9:30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- राजन गौड़ उर्फ टारजन गौड़ पुत्र हरेन्द्र गौड़ निवासी देवईत थाना मेहनगर आजमगढ़।
- 2- विजय उर्फ लडू पुत्र महेन्द्र निवासी देवईत थाना मेहनगर आजमगढ़।
- 3- वकील चौहान पुत्र भीखा चौहान निवासी देवईत थाना मेहनगर आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 271/24 धारा 3(5)/115(2)/308(6) BNS 2023 थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
आपराधिक इतिहास-

A- राजन गौड़ उर्फ टारजन गौड़ पुत्र हरेन्द्र गौड़ निवासी देवईत थाना मेहनगर आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 376/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 526/23 धारा 380,411,427 भादवि थाना मेंहनगर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 531/23 धारा 380,411 भादवि थाना मेंहनगर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 533/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 231/24 धारा 323,504,506,427 भादवि थाना मेंहनगर आजमगढ़

B- विजय उर्फ लड्डू पुत्र महेन्द्र निवासी देवईत थाना मेहनगर आजमगढ़ - NIL

C- वकील चौहान पुत्र भीखा चौहान निवासी देवईत थाना मेहनगर आजमगढ़ - NIL

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अमित कुमार यादव, का0 राजन गौड़ व का0 शुभम यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

थाना मेंहनगर

दहेज हत्या में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 22.07.2024 को वादी मुकदमा फिरोज पुत्र मोइनूद्दीन ग्राम सलेमपुर थाना देवगाँव तहसील लालगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि वादी ने अपनी बहन की लड़की की शादी वर्ष 2023 में इस्तेखार उर्फ जाफर पुत्र छोटे ग्राम कटहन थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के साथ किया था। शादी के 01-02 महीने के बाद ही वादी की भांजी को दहेज के लिये ससुराल वालो द्वारा प्रताड़ित किया जाता था तथा जहर देके मार डालने की धमकी दी जाती थी। ससुराल वाले बुलट की माँग कर रहे थे। वादी की भांजी के ससुर छोटे पुत्र नजीर, साँस सितारा, देवर जावेद, ननद मीन्टी व जोती ने मिलकर जहर पिलाकर हत्या कर दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 102/24 धारा 498A,304B,506 BNS व 3/4 डीपी0 एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 23.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तो 1.मो0 इस्तेखार उर्फ छोटे पुत्र मो0 नजीर साकिन कटहन थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़, 2.मो0 जाफर उर्फ समीर पुत्र मो0 इस्तेखार उर्फ छोटू ग्राम कटहन थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़, 3.सितारा पत्नी मो0 इस्तेखार उर्फ छोटू ग्राम कटहन थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को सिंहपुर बाजार से समय करीब 09.10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- मो0 इस्तेखार उर्फ छोटे पुत्र मो0 नजीर साकिन कटहन थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़
- 2- मो0 जाफर उर्फ समीर पुत्र मो0 इस्तेखार उर्फ छोटू ग्राम कटहन थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़
- 3- सितारा पत्नी मो0 इस्तेखार उर्फ छोटू ग्राम कटहन थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 102/24 धारा 498ए/304बी/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह, का0 हिंमांशु गिरी, का0 सर्वेश कुमार, म0का0 पूनम तिवारी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर

चोरी की मोटर साइकिल व अवैध तमन्चा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 20.07.2024 को वादी मुकदमा शिव कुमार चौहान पुत्र अमरजीत चौहान ग्राम कोनवली थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की मोटरसाइकिल देशी ठेका के सामने से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.-278/2024 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अनुपम जायसवाल द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 23.07.2024को उपनिरीक्षक अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा छाऊ मोड पर संदिग्ध व्यक्तियो/वाहनों की चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि दिनांक 19.07.2024को कस्बा गम्भीरपुर देशी शराब की दूकान के सामने से मोटरसाइकिल संख्या UP 50 AX 9285 चोरी हुयी थी। उस चोरी के मोटरसाइकिल से एक चोर धरनीपुर विषया होते हुए आ रहा है। जिसके पास अवैध तमन्चा भी है। इस सूचना पर उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा बसिरहा मोड से चेकिंग के दौरान अभियुक्त रामजीत उर्फ गप्पू पुत्र रघुनाथ निवासी नसीरपुर खालसा थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र करीब 24वर्ष को चोरी की मोटर साइकिल के साथ समय करीब 10. 40बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 तमन्चा, 01 ज़िंदा कारतूस बोर 315बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी

व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं -.281/2024 धारा 3/ 25शस्त्र अधिनियम,पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- रामजीत उर्फ गप्पू पुत्र रघुनाथ निवासी नसीरपुर खालसा थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र करीब 24वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं -.281/2024 धारा 3/ 25शस्त्र अधिनियम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं.278/24 धारा 303(2) व317 (2) BNS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. मु.अ.सं.281/24 धारा 3/ 25शस्त्र अधिनियम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-182/19 धारा-376डी, 504,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
4. मु.अ.सं -.281/2024 धारा 3/ 25शस्त्र अधिनियम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व मोटर साइकिल (चोरी की)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अनुपम जायसवाल, का.गंगासागर कुशवाहा, का.विश्वास चौधरी, का.उत्तम गौंड थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर

10 हजार रुपये का इनामियां अभियुक्त तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 23-07-2024 को प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह, व0उ0नि0 संदीप कुमार शर्मा मय हमराह व एसओजी प्रभारी नन्द कुमार तिवारी मय टीम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की तलाश में खरेवा मोड़ पर मौजूद थे कि प्रभारी निरीक्षक सरायमीर यादवेन्द्र पाण्डेय को सूचना मिली की 01 व्यक्ति अबैध तमंचा कारतूस के साथ नरदह पुलिस पर खड़ा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सरायमीर मौजूद पुलिस बल के साथ खरेवा नरदह पुलिस पर पहुंचे तथा मुखबीर की निशादेही पर अभियुक्त नईम अहमद S/0 स्व0 फरीद अहमद ग्राम अषाठा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 53 वर्ष को समय करीब 09:45 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 400/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 400/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- नईम अहमद S/0 स्व0 फरीद अहमद ग्राम अषाठा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 53 वर्ष

बरामदगी- 01 कट्टा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 322/2024 धारा 3(1),2(b)1 उ0प्र0गिरोह समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

2- मु0अ0सं0 246/2023 धारा 419/420 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय, व0उ0नि0 संदीप कुमार शर्मा, का0 अजीत कुमार यादव, का0 शशिकान्त तिवारी, म0का0 अनीता कुमारी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

एसओजी प्रभारी नन्द कुमार तिवारी, मु0आ0 धर्मेन्द्र यादव, मु0आ0 पवन यादव, आ0 अनीश सिंह, आ0 सुनील प्रजापति एसओजी, क0आ0 चन्द्रमा मिश्रा सर्विलांस जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर

गम्भीरपुर का टाप टेन हिस्ट्रीशीटर अपराधी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 07.12.2023 को उपनिरीक्षक अजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा पशुओ को क्रूरता पूर्वक पिकप में लादकर ले जाने के सम्बन्ध में एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर दिनांक 07.12.2023 को उ.नि.अजय कुमार सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 403 /23 धारा 3/5a/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया व दिनांक 8.12.23 को अभियुक्तो 1. अबुल केश उर्फ केश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा0 मोहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. पप्पू यादव पुत्र दिन्नू निवासी नगरैया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

➡ थाना प्रभारी गम्भीरपुर की रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा उपरोक्त अभियुक्तो के विरुद्ध दिनांक 03.07.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया है।

➔ जिसके क्रम में दिनांक 11.07.2024 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष बसंत लाल द्वारा थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 263/2024 धारा 3(1)/2(ख)(1)(xvii) उत्तर प्रदेश गैग्रेस्टर अधिनियम बनाम 1. अबुल केश उर्फ केश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा0 मोहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. पप्पू यादव पुत्र दिन्नू निवासी नगरैया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 23.07.2024 को व.उ.नि. मिथलेश कुमार मय हमराह को क्षेत्र भ्रम के दौरान सूचना मिली कि अभियुक्त अबुल केश उर्फ केश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा0 मोहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ सदाफल तिराहा पर मौजूद है जो कही भागने की फिराक में है। इस सूचना पर व.उ.नि. मिथलेश कुमार मय हमराह द्वारा अभियुक्त अबुल केश उर्फ केश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू सा0 मोहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को सदाफल तिराहे से समय करीब 12:15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं.- 263/2024 धारा 3(1)/2(ख)(1)(xvii) उत्तर प्रदेश गैग्रेस्टर अधिनियम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- अबुल केश उर्फ केश मुहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू साकिन मोहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
404/2023	307IPC व 3/ 25आर्म्स एक्ट	गम्भीरपुर	आजमगढ़
403/2023	3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11पशु क्रूरता निवारण अधिनियम	गम्भीरपुर	आजमगढ़
323/2023	308/323/324/504/ 506भादवि	गम्भीरपुर	आजमगढ़
99/23	3/ 25A. ACT	गम्भीरपुर	आजमगढ़
81/ 2022	504,506 IPC	गम्भीरपुर	आजमगढ़
231/ 2022	3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11पशु क्रूरता निवारण अधिनियम	बरदह	आजमगढ़
324/22	323,325,504, 506भादवि	गम्भीरपुर	आजमगढ़
14/ 2021	379IPC	रानी की सराय	आजमगढ़
182/18	379भादवि	गम्भीरपुर	आजमगढ़
471/ 2015	3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम	बरदह	आजमगढ़
29/2014	380भादवि	तरवां	आजमगढ़
217/2013	3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम	मेहनाजपुर	आजमगढ़
147/2008	323/494/498ए भादवि व3 / 4डीपी एक्ट	गम्भीरपुर	आजमगढ़
46/23	323,504, 506भादवि	गम्भीरपुर	आजमगढ़
72/24	2(b)(xv), 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट	बरदह	आजमगढ़
162/16	147,148,149,186,307,336,341,353, 504 भादवि एवं 07 सीएलए	निजामाबाद	आजमगढ़
263/2024	3(1)/2(ख)(1)(xvii) उत्तर प्रदेश गैग्रेस्टर निवा0 अधिनियम	गम्भीरपुर	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 मिथलेश कुमार, का.सूरज खरवार, का.विश्वामित्र थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।



प्रेस नोट

साइबर क्राइम सेल, जनपद आजमगढ़।

दिनांक 23.07.2024

रिश्तेदार बनकर धोखाधड़ी एवं फोन पे स्केनर अपडेट करने के नाम पर धाखाधड़ी से पीड़ित दो व्यक्तियों का रूपया-27,000/ ठगी का पैसा बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना के द्वारा साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में नोडल अधिकारी साइबर क्राइम श्री विवेक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में साइबर सेल जनपद आजमगढ़ द्वारा कार्यवाही करते हुए दो व्यक्तियों का रूपया-27,000/ वापस कराया गया।

घटना का विवरण-

01- रिश्तेदार बनकर पैसों की जरूरत बताकर धोखाधड़ी- आवेदक थानाक्षेत्र कोतवाली निवासी के मोबाइल फोन पर आवेदक का रिश्तेदार बनकर उससे तत्काल इलाज का झूठा बहाना बनाकर आवेदक से रूपया 25000/-ले लेना जिसके तुरन्त बाद आवेदक द्वारा साइबर सेल को सूचना दिया गया। आवेदक ने अभियोग पंजीकृत कराने से इन्कार किया।

कार्यवाही- उक्त घटना के पश्चात आवेदक ने साइबर सेल में अपनी रिपोर्ट की जिसकी सूचना पर तत्काल साइबर सेल द्वारा जांच किया गया तो ज्ञात हुआ कि आवेदक के पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गये थे जिसको तत्काल ब्लाक कराते हुए आवेदक का पूरा पैसा रूपया 25000/-वापस करा दिया गया।

जागरूकता- किसी भी फोन/व्हाट्सएप काल पर भरोसा करने से पहले जांच ले कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से जानते-पहचानते है और नहीं जानते है तो ऐसे फोन/व्हाट्सएप कॉल की रिपोर्ट पुलिस को करें।

02- फोन पे कस्टमर केयर अधिकारी बनकर धोखाधड़ी - आवेदक थानाक्षेत्र अतरौलिया के मोबाइल पर अज्ञात मोबाइल नम्बर से काल आया जिसपर दूसरी तरफ से अज्ञात व्यक्ति द्वारा **फोन पे का बार कोड अपडेट** करने के नाम पर आवेदक से कई बार में पैसा ले लिया जिसके बाद आवेदक द्वारा साइबर सेल को सूचना दिया गया।

कार्यवाही- उक्त साइबर फ्राड की जानकारी होते ही साइबर सेल द्वारा जांच कर ट्रान्सफर किये गये पैसों की जांच किया गया जिसमें से रूपया 2000/- कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाते में गया था को तत्काल ब्लाक कराते हुए आवेदक का पैसा वापस कराया गया।

जागरूकता- रिश्तेदार बनकर कोई व्यक्ति पैसा मांगे तो पहले फोन काटकर रिश्तेदार के नंबर पर बात कर ले कि क्या ये वही व्यक्ति है जिससे हम बात करना चाहते है अगर ऐसा हो जाये तो पैनिक ना हो और ना ही पैसे भेजें तत्काल साइबर सेल/थाना या स्थानिय थानों को बतायें।किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु 1930 हेल्पलाइन डायल करें अथवा साइबर सेल/थाना पर संपर्क कर सकते हैं। आर्थिक साइबर अपराधों की सूचना तीन दिवस में साइबर सेल/साइबर थाना पर देने पर संपूर्ण धन वापस कराया जा सकता है।

साइबर सेल टीम—

मु0आ0 मुकेश भारती

मु0आ0 ओमप्रकाश जायसवाल

आरक्षी राहुल सिंह

आरक्षी सतेन्द्र यादव